(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 29/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/76

1. शेरसिंह पुत्र लीलाराम उम्र 70 साल जाति कुम्हार निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 (फौत)
   1/1 गंगा देवी पत्नी शेरसिंह
   1/2 राजेश कुमार पुत्र शेरसिंह
   1/3 महेश कुमार पुत्र शेरसिंह
   1/4 सुरेश कुमार पुत्र शेरसिंह
   1/5 सुनिता पुत्री शेरसिंह पत्नी महेन्द्र निवासी कुहाड़वास हाल आबाद बुडनपुरा तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनूं राज0
   1/6 शिक्षा पुत्री शेरसिंह पत्नी शेरसिंह (फौत)
   1/6/1 प्रमोद पुत्र शेरसिंह माता शिक्षा दोहिता शेरसिंह
   1/6/2 रविन्द्र पुत्र शेरसिंह माता शिक्षा दोहिता शेरसिंह निवासी कुहाड़वास हाल आबाद बुडनपुरा तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनूं राज0

..................वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार उर्फ किशन सिंह दत्तक पुत्र गुलाब चन्द जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. अनिल कुमार पुत्र झुथाराम जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. आनन्द पुत्र झुथाराम जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. हनुमान प्रसाद पुत्र झुथाराम जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. गिन्नी पुत्री झुथाराम पत्नी बृजलाल जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़ीया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं राज0
6. पुष्पा पुत्री झुथाराम पत्नी [illegible] जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना हाल आबाद नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
7. गोदावरी पुत्री झुथाराम जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

8. बजरंग लाल माता शारदा पत्नी जगदीश जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
9. दिनेश
10. बबली
11. मन्जु माता शारदा पत्नी जगदीश जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
12. नरेश
13. मुकेश
14. मन्जू
15. रेखा माता ललीता पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
16. सम्पति पुत्री झुथाराम
17. सरोज पुत्री झुथाराम जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
18. नागरमल पुत्र मेहरचन्द जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
19. बाबुलाल पुत्र मेहरचन्द जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
20. गुगनराम पुत्र मेहरचन्द जाति महाजन निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन

–:निर्णयः– **दिनांकः–** 25/6/2025

वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 के गत खसरा नम्बर 24[illegible] 12 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार कास्तकार प्रतिवादी संख्या 1 का दत्तक पिता [illegible] पुत्र रणजीत हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 के [illegible]कारी झुथाराम पुत्र रणजीत सिंह हिस्सा 1/4 तथा शेष 1/2 हिस्सा नागरम[illegible] बाबुलाल, गुलशनराम पुत्रान मेहरचन्द दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 मे वर्णित भूमि गत ख0 न0 249/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 1 जो गुलाबचन्द पुत्र रणजीत का दत्तक पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी झुथाराम पुत्र रणजीत ने दिनांक 10.03.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान वादी को कर दिया तथा मूल्य दो हजार रूपये नगद रोकड़ी प्राप्त कर वादी को क्रय की गई भूमि पर कब्जा करवा दिया तथा उक्त विक्रय पत्र मे विक्रेता ने भूमि के जिस जगह कब्जा किया उसका भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार गत ख0 न0 249/1 की पश्चिमी तरफ वादी का कब्जा कास्त है वादी क्रय के दिन से बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक अपनी भूमि पर काबिज कास्त चला आ रहा है।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 मे वर्णित भूमि ख0 न0 249/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा के हाल ख0 न0 604 रकबा 1.58 है0, ख0 न0 605 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.39 हैक्टर में निर्मित हुये है।

4. यह कि वादी अपनी क्रय सुदा भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है तथा वादी ने भूमि क्रय करने के पश्चात खातेदारी दर्ज होने बाबत रिकार्ड की और कोई ध्यान नही दिया तथा अपनी क्रय सुद्वा भूमि को निरन्तर कास्त करता आ रहा है वादी स्वयं भी बाहर मजदूरी पेशा व्यक्ति है जिसे राजस्व रिकार्ड के बारे मे जानकारी भी नहीं है गत माह वादी अपनी क्रय सुद्वा भूमि की रिकार्ड की नकल पटवारी को विक्रय पत्र दिखाकर लेना चाहा तो पटवारी हल्का ने यह जानकारी दी की वादी ने जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी से क्रय की है उसकी खातेदारी वादी के नाम से दर्ज नही हुई है। इसलिए वादी को अपनी क्रय सुद्वा भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने की घोषणा करने हेतु उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि गत ख0 न0 249/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 17 के हकपूर्वाधिकारी ने 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान वादी के हक में कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 का इस भूमि का खातेदार कास्तकार हो चुका है जिसकी खातेदारी की घोषणा वादी अपने नाम से दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है जिस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो प्रतिवादीगण द्वारा कोई सन्तोष पर्द जवाब न मिलने पर वादी को उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि खातेदार मेवा देवी फौत हो चुकी है [illegible]धिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 उसक दत्तक पुत्र गुलाब [illegible] 1 का इस भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा खातेदार [illegible] खातेदार शारदा पुत्री झुथाराम फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रति[illegible] संख्या 8 लगायत 11 है तथा ललीता पुत्री झुथाराम भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 17 है तथा खातेदार चलती देवी पत्नी झुथाराम फौत हो चुकी है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 है इसलिए इनको पक्षकार बनाया गया है।

7. यह कि हाल ख0 न0 604 रकबा 1.58 है0, ख0 न0 605 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.39 हैक्टर में 1/2 हिस्सा खातेदार प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 है। जिसको प्रफोर्मा प्रतिवादी बनाया गया है इनके विरूद्व वादी कोई अनुतोष नही चाहा है।

8. यह कि क्रय के समय से अपनी क्रय शुदा भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती या सहवन से वादी के नाम से खातेदारी दर्ज न होने से वादी को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 के स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा कर अपने हिस्से का विभाजन करवाने हेतु उक्त वाद पत्र पेश कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि दौराने दावा वाद वर्णित भूमि को गलत रिकार्ड की आड़ में किसी अन्य को दान रहन बैचान आदि ना करे।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि के गत ख0 न0 249/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 604 रकबा 1.58 हैक्टर, ख0 न0 605 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.39 हैक्टर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 तथा खातेदार मेवा पत्नी गुलाब चन्द व चलती पत्नी झुथाराम का नाम भी खातेदारी से हटाया जाकर उसके स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त कर खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वाके ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि हाल ख0 न0 604 रकबा 1.58 हैक्टर, ख0 न0 605 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.39 हैक्टर जब तक वाद पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी अन्य को दान रहन बेचान आदि ना करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। एवं प्रतिवादी बावजूद [illegible] पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात [illegible] अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात [illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2024 को की गई। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 813 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1816 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त हुई प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 319, में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि के गत ख0 न0 249/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 604 रकबा 1.58 हैक्टर, ख0 न0 605 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.39 हैक्टर में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.- 29 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :- 2022 / 76

शेर सिंह बनाम कृष्ण कुमार आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि के गत ख0 न0 249/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 604 रकबा 1.58 हैक्टर, ख0 न0 605 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.39 हैक्टर में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25/6/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:20:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना